रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122021-232221 CG-DL-E-29122021-232221

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 733] No. 733] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सं. 18/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. 892(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I - 2.5 % में, -

- (i) क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "दही; क्रीम, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लीकृत दूध और क्रीम, चाहे सांद्रित हो या नहीं या जिसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या कोई स्वाद या फल, नट्स या कोको मिलाया गया हो या नहीं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

7630 GI/2021 (1)

- (iii) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कीड़े और अन्य प्राणीजन्य अन्य खाद्य उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल न हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (iv) क्रम संख्या 87 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य अवाष्पशील वनस्पतियां या माइक्रोबियल वसा और तेल (जोजोबा तेल सहित) और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों अथवा नहीं, किंतु रासायनिक रूप से संशोधित न किए गए हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 107 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "तेल-केक और अन्य ठोस अवशेष, चाहे वह ग्राउन्डेड हो या नहीं या छर्रों के रूप में हों, जो वनस्पित या माइक्रोबियल वसा या तेल के निष्कर्षण से उत्पन्न होता है, शीर्षक 2304 या 2305 के अलावा तथा बिनौला तेल-केक के अलावा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 127 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "डोलोमाइट, चाहे कैलसिंड या सिन्टर्ड हो या नहीं, जिसमें डोलोमाइट को मोटे तौर पर ट्रिम किया गया हो या केवल काटकर, आरी से या अन्यथा, एक आयताकार के ब्लॉक या स्लैब के (वर्ग सहित) आकार के हों, 2518 10 डोलोमाइट, कैलसिंड या सिन्टर्ड न हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 186क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

	"186क	3816	डोलोमाइट कुटाई मिश्रण
•	186ख	3826	हाई स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए बायो-डीजल";

- (viii) क्रम संख्या 232 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8419 12" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 244 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"244	8802 या	अन्य विमान (उदाहरण के लिए, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज) अनुसूची III में क्रमांक
	8806	संख्या 383 में शामिल मदों को छोड़कर, व्यक्तिगत उपयोग के अलावा ";

- (x) क्रम संख्या 245 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807" और कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "शीर्षक 8802 या 8806 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद (अनुसूची III में क्रमांक संख्या 383 में शामिल मदों के पुर्ज़ों को छोड़कर), के पुर्जे" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 258 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9405" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; ख. अनुसूची II - 6% में,-
 - (i) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, सूखे, चाहे कवच रहित या छिलका रिहत हों या नहीं, जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फ़िलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), पाइन नट्स [सूखी अरीका नट्स से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) क्रम संख्या 25 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पशु या माइक्रोबियल वसा और पशु या माइक्रोबियल तेल और उनके अंश, आंशिक रूप से या पूरी तरह से हाइड्रोजनीकृत, अंतर-एस्ट्रिफ़ाइड, री-एस्ट्रिफ़ाइड या इलडिनाइज़्ड, चाहे परिष्कृत है या नहीं, किन्तु आगे निर्मित नहीं हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
 - (iii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " पशु वसा या माइक्रोबियल वसा या पशु तेल या माइक्रोबियल तेल, या इस अध्याय से विभिन्न पशु वसा या माइक्रोबियल वसा या पशु तेल या माइक्रोबियल तेल

के अंश से बना खाद्य मिश्रण या निर्मितियाँ, शीर्षक 1516 के खाद्य वसा या तेल या उनके अंशों के अलावा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iv) क्रम संख्या 27 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पशु या माइक्रोबियल वसा और पशु या माइक्रोबियल तेल और उनके अंश, उबला हुआ, ऑक्सीकृत, निर्जलित, सल्फरयुक्त, उड़ा, निर्वात या निष्क्रिय में गर्मी द्वारा बहुलकीकृत गैस या अन्यथा रासायनिक रूप से संशोधित, शीर्षक 1516 को छोड़कर; अखाद्य मिश्रण या पशु, वनस्पित या माइक्रोबियल वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसा या तेलों के अंश, किंतु अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (v) क्रम संख्या 28 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मांस, मांसावशिष्ट, रक्त या कीड़े के सासेज और वैसे ही उत्पाद; इन उत्पादों पर आधारित खाद्य निर्मितियाँ" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 29 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य निर्मित या परिरक्षित मांस, मांसाविष्ट, रक्त या कीड़े" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (vii) क्रम संख्या 41 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "फलों या नट्स के रस (अंगूर सहित) और सब्जियों के रस, बिना किण्वित और अतिरिक्त स्प्रिट युक्त नहीं, चाहे अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"41क	2009	89	टेंडर नारियल जल जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,-
	90		(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
			(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में करवाई
			योग्य दवा किया जा सकता हो या उसपर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहाँ के ऐसे
			ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से
			परित्याग कर दिया गया हो] ";

- (ix) क्रम संख्या 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 144 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कालीन और अन्य कपड़ों के फर्श कवरिंग (टर्फ सहित), गुच्छेदार, चाहे बने बनाए हों अथवा नहीं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 185क के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7419 80 30" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 225 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9405" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 236 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पेंटिंग, ड्रॉइंग और पेस्टल, पूरी तरह से हाथ से निष्पादित, शीर्षक 4906 के ड्राइंग से भिन्न और हाथ से पेंट या हाथ से सजाए गए निर्मित वस्तुओं से भिन्न; कोलाजें, मोज़ाइकें और इसी तरह के सजावटी प्लाक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ग. अनुसूची III - 9% में, -

(i) क्रम संख्या 26क से 26ठ तक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियां को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"26क	2404 12 00	ऐसे उत्पाद जिनमें निकोटिन हो और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्त: श्वसन के लिए किया जाता हो
26 ख	2404 91 00, 2404 92	मौखिक उपयोग या ट्रांसर्डमल उपयोग या मौखिक या ट्रांसर्डमल के अलावा आवेदन के लिए, निकोटिन वाले उत्पाद और जिनका उपयोग तम्बाकू को खत्म करने के

	00, 2404 99 00	लिए किया जाता है
26 ग	2515 12 20, 2515 12 90	मार्बल और ट्रॉवरटाईन, ब्लॉक से भिन्न
26 घ	2516 12 00	ग्रेनाइट, ब्लॉक से भिन्न
26 ङ	2601	लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स, भुना हुआ लौह पाइराइट सहित
26 च	2602	मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स, फेरुजिनस मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स जिसमें 20% या उससे अधिक की मैंगनीज सामग्री हो, जिसकी सूखे वजन पर गणना की गई हो
26 छ	2603	कॉपर अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ज	2604	निकल अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 झ	2605	कोबाल्ट अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 স	2606	एल्युमिनियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ਟ	2607	सीसा अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ਣ	2608	जिंक अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ड	2609	टिन अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ढ	2610	क्रोमियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स";

- (ii) क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 72 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सुरक्षा फ़्यूज़; विस्फोट तार; आघात या विस्फोट कैप्स; इगनाइटर्स; इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 98 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"98क	3827	मीथेन, ईथेन या प्रोपेन के हलोजनयुक्त डेरिवेटिव युक्त मिश्रण, जो अन्यत्र निर्दिष्ट
		या शामिल न हों";

- (v) क्रम संख्या 190क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कांच के आवरण (बल्ब और ट्यूब सहित), खुले और कांच के हिस्से, बिना फिटिंग के, बिजली के लैंप और प्रकाश स्रोतों के लिए, कैथोड रे ट्यूब या ऐसे अन्य उत्पादों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 195 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ग्लास फाइबर (कांच के ऊन सहित) और उससे बनी साम्रगियां (उदाहरण के लिए, यार्न, रोविंग, बुने हुए कपड़े)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 317ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "वायु या वैक्यूम पंप, वायु या अन्य गैस कम्प्रेसर और पंखे; हवादार या पुनर्चक्रण हुड, जिनमें पंखे लगे हो, चाहे उनमें फिल्टर लगे हों या नहीं; तंग-गैस जैविक सुरक्षा अलमारियाँ, चाहे फिल्टर के साथ फिट हों या नहीं [साइकिल पंपों, अन्य हैंड पंपों और हवा के हिस्सों या वैक्यूम पंपों और साइकिल पंपों के कंप्रेसर से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 320 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8419 [8419 12 से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- - क्रम संख्या 330 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मशीनरी, जो निर्दिष्ट नहीं है या इस अध्याय (ix) में कहीं और शामिल नहीं है, खाद्य या पेय की औद्योगिक तैयारी या निर्माण के लिए, पशु या स्थिर वनस्पति या माइक्रबियल वसा या तेल के निष्कर्षण या तैयारी के लिए मशीनरी से भिन्न" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
 - क्रम संख्या 352 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मशीन-ट्रल्स (प्रेस सहित) फोर्जिंग, हैमरिंग (x) या डाई फोर्जिंग द्वारा वर्किंग मेटल के लिए (रोलिंग मिल्स को छोड़कर); मशीन-ट्रल्स (प्रेस, स्लिटिंग लाइन्स और कट-ट-लेंथ लाइन्स सहित) बेंडिंग, फोल्डिंग, स्टेटनिंग, फ़्लैटनिंग, शीयरिंग, पंचिंग, नॉचिंग या निबलिंग द्वारा वर्किंग मेटल के लिए (ड्रा-बेंच को छोड़कर); वर्किंग मेटल या मेटल कार्बाइड्स के लिए प्रेस, जो कि ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
 - क्रम संख्या 369ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित (xi) किया जाएगा, यथा:-

"369ग	8485	एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनें";
-------	------	--

क्रम संख्या 382 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित (xii) किया जाएगा, यथा:-

"382क	8524	फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल, जिसमें टच-सेंसिटिव स्क्रीन शामिल हो या नहीं";
-------	------	--

क्रम संख्या 383 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियों को (xiii) प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"383	8525	या	क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी), रेडियो-प्रसारण या टेलीविजन के लिए प्रसारण
	8806		उपकरण, चाहे रिसेप्शन उपकरण या ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल
			हो या नहीं; टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर जिसमें
			मानव रहित विमान के रूप में माल शामिल है जो 8806 के अंतर्गत आता है [रक्षा,
			पुलिस और अर्धसैनिक बलों, आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो-तरफा रेडियो
			(वॉकी टॉकी) के अलावा]";

- (xiv) क्रम संख्या 390 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "इलेक्ट्रिकल फिलामेंट या डिस्चार्ज लैंप जिसमें सीलबंद बीम लैंप यूनिट और अल्ट्रा-वायलेट या इंफ्रा-रेड लैंप शामिल हैं; आर्क लैंप [प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- क्रम संख्या 392 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सेमीकंडक्टर डिवाइसेस (उदाहरण के लिए, (xv) डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर आधारित ट्रांसड्यूसर); फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस; प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी), अन्य प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) के साथ संयोजन किया गया है या नहीं; माउंटेड पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 398 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8548 या 8549" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvii) क्रम संख्या 411ज के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "लेजर, लेजर डायोड से भिन्न; अन्य ऑप्टिकल उपकरण और यंत्र, जो निर्दिष्ट नहीं हैं या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- क्रम संख्या 413क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "एक्स-रे या अल्फा, बीटा, गामा या अन्य (xviii) आयनकारी विकिरणों के उपयोग पर आधारित उपकरण [चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पश् चिकित्सा उपयोग के अलावा], जिसमें रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्सरे ट्यूब और अन्य एक्स-रे

- जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, 28 परीक्षाएं या उपचार टेबल, कुर्सियाँ और इसी तरह के सामान शामिल हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xix) क्रम संख्या 438क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ल्यूमिनेयर और लाइटिंग फिटिंग्स, जिसमें सर्चलाइट और स्पॉटलाइट और उसके हिस्से शामिल हैं, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रबुद्ध संकेत, प्रबुद्ध नेमप्लेट और इसी तरह, जिसमें स्थायी रूप से तय किए गए प्रकाश स्रोत हैं, और उसके हिस्से जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं [केरोसिन प्रेशर लालटेन और उसके हिस्सों से भिन्न गैस मेंटल; हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप, पेट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी, और उसके हिस्सों; एलईडी लैंप सहित एलईडी लाइट या जुड़नार; एलईडी (प्रकाश) एमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीबी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड)]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (xx) क्रम संख्या 441क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ट्रैवलिंग सर्कस और ट्रैवलिंग मेनेजरीज; एम्यूजमेंट पार्क राइड्स एंड वाटर पार्ट एम्यूजमेंट; फेयरग्राउंड एम्यूजमेंट, जिसमें शूटिंग गैलरी शामिल हैं; ट्रैवलिंग थिएटर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxi) क्रम संख्या 449ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "वैक्यूम फ्लास्क और अन्य वैक्यूम वेसल, पूर्ण; कांच के अंदरूनी हिस्सों से भिन्न उसके हिस्से" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

घ. अनुसूची IV - 14% में, -

(i) क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"15क	2404 00	11	ऐसे उत्पाद जिनमें तम्बाकू या पुर्नगठित तम्बाकू हो और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्त: श्वसन के लिए किया जाता हो
15ख	2404 00	19	ऐसे उत्पाद जिनमें तम्बाकू या निकोटिन सब्सीट्यूट्स हों और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्त: श्वसन के लिए किया जाता हो";

- (ii) क्रम संख्या 176 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8802 या 8806" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/281/2021-टीआरयू खंड-सीबीईसी] राजीव रंजन. अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2021- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 नवंबर, 2021 सा.का.िन. 816(अ), दिनांक 18 नवंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

No. 18/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 892(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the

recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- a. in Schedule I 2.5%, -
 - (i) against S. No. 2, for the entry in column (2), the entry "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" shall be substituted;
 - (ii) against S. No. 9, for the entry in column (3), the entry "Yoghurt; Cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavored or containing added fruit, nuts or cocoa" shall be substituted;
 - (iii) against S. No. 14, for the entry in column (3), the entry "Insects and other edible products of animal origin, not elsewhere specified or included" shall be substituted;
 - (iv) against S. No. 87, for the entry in column (3), the entry "Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified." shall be substituted;
 - (v) against S. No. 107, for the entry in column (3), the entry "Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable or microbial fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 other than cottonseed oil cake" shall be substituted;
 - (vi) against S. No. 127, for the entry in column (3), the entry "Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; 2518 10 dolomite, Not calcined or sintered", shall be substituted;
 - (vii) for S. No. 186A and the corresponding entries relating thereto, the following S. Nos. and the corresponding entries shall be substituted, namely: -

"186A	3816	Dolomite ramming mix
186B	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel";

- (viii) against S. No. 232, for the entry in column (2), the entry "8419 12" shall be substituted;
- (ix) For S. No. 244 and the corresponding entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -

"244	8802	or	Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes) except the items
	8806		covered in Sl. No. 383 in Schedule III, other than for personal use";

- (x) against S. No. 245, for the entry in column (2), the entry "8807", and for the entry in column (3), the entry "Parts of goods of heading 8802 or 8806 (except parts of items covered in Sl. No. 383 in Schedule III)", shall be substituted;
- (xi) against S. No. 258, for the entry in column (2), the entry "9405", shall be substituted;
- b. in Schedule II -6%, -
 - (i) against S. No. 15, for the entry in column (3), the entry "Other nuts, dried, whether or not shelled or peeled, such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Pine nuts [other than dried areca nuts]" shall be substituted;
 - (ii) against S. No. 25, for the entry in column (3), the entry "Animal or microbial fats and animal or microbial oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared." shall be substituted;
 - (iii) against S. No. 26, for the entry in column (3), the entry "Edible mixtures or preparations of animal fats or microbial fats or animal oils or microbial oils or of fractions of different animal fats or microbial fats or animal oils or microbial oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516" shall be substituted;

- (iv) against S. No. 27, for the entry in column (3), the entry "Animal or microbial fats and animal or microbial oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified of included" shall be substituted;
- (v) against S. No. 28, for the entry in column (3), the entry "Sausages and similar products, of meat, meat offal, blood or insects; food preparations based on these products" shall be substituted;
- (vi) against S. No. 29, for the entry in column (3), the entry "Other prepared or preserved meat, meat offal, blood or insects" shall be substituted;
- (vii) against S. No. 41, for the entry in column (3), the entry "Fruit or nut juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter." shall be substituted;
- (viii) after S. No. 41 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"41A	2009 89 90	Tender coconut water put up in unit container and, -
		(a) bearing a registered brand name; or
		(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]";

- (ix) S. No. 49 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (x) against S. No. 144, for the entry in column (3), the entry "Carpets and other textile floor coverings (including Turf), tufted, whether or not made up" shall be substituted;
- (xi) against S. No. 185A, for the entry in column (2), the entry "7419 80 30" shall be substituted;
- (xii) against S. No. 225, for the entry in column (2), the entry "9405" shall be substituted;
- (xiii) against S. No. 236, for the entry in column (3), the entry "Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 4906 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages, mosaics and similar decorative plaques" shall be substituted;
- c. in Schedule III 9%,
 - (i) for S. Nos. 26A to 26L and the corresponding entries relating thereto, the following S. Nos. and the corresponding entries shall be substituted, namely: -

"26A	2404 12 00	Products containing nicotine and intended for inhalation without combustion
26B	2404 91 00, 2404 92 00, 2404 99 00	Products for oral application or transdermal application or for application otherwise than orally or transdermally, containing nicotine and intended to assist tobacco use cessation
26C	2515 12 20, 2515 12 90	Marble and travertine, other than blocks
26D	2516 12 00	Granite, other than blocks
26E	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites
26F	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.
26G	2603	Copper ores and concentrates
26H	2604	Nickel ores and concentrates
26I	2605	Cobalt ores and concentrates

26J	2606	Aluminium ores and concentrates
26K	2607	Lead ores and concentrates
26L	2608	Zinc ores and concentrates
26M	2609	Tin ores and concentrates
26N	2610	Chromium ores and concentrates";

- (ii) S. No. 41 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) against S. No. 72, for the entry in column (3), the entry "Safety Fuses; Detonating Cords; Percussion or Detonating Caps; Igniters; Electric Detonators", shall be substituted;
- (iv) after S. No. 98 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"98A	3827	Mixtures	containing	halogenated	derivatives	of
		Methane, included";		pane, not elsew	where specified	d or

- (v) against S. No. 190A, for the entry in column (3), the entry "Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps and light sources, cathode ray tube or the like", shall be substituted;
- (vi) against S. No. 195, for the entry in column (3), the entry "Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, rovings, woven fabrics)", shall be substituted;
- (vii) against S. No. 317B, for the entry in column (3), the entry "Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters; Gas-tight biological safety cabinets, whether or not fitted with filters [other than bicycle pumps, other hand pumps and parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps]", shall be substituted;
- (viii) against S. No. 320, for the entry in column (2), the entry "8419 [other than 8419 12]", shall be substituted;
- (ix) against S. No. 330, for the entry in column (3), the entry "Machinery, not specified or included elsewhere in this Chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable or microbial fats or oils", shall be substituted;
- (x) against S. No. 352, for the entry in column (3), the entry "Machine-Tools (Including Presses) For Working Metal by Forging, Hammering or Die Forging (Excluding Rolling Mills); Machine-Tools (Including Presses, Slitting Lines and Cut-To-Length Lines) For Working Metal by Bending, Folding, Straightening, Flattening, Shearing, Punching, Notching or Nibbling (Excluding Draw-Benches); Presses for Working Metal or Metal Carbides, Not Specified Above", shall be substituted;
- (xi) after S. No. 369B and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"369C	8485	Machines for Additive Manufacturing";

(xii) after S. No. 382 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"382A	8524	Flat Panel Display Modules, Whether or Not Incorporating Touch-
		Sensitive Screens";

(xiii) For S. No. 383 and the corresponding entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -

"383	8525	or	Closed-circuit television (CCTV), transmission apparatus for radio-
	8806		broadcasting or television, whether or not incorporating reception
			apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television

	cameras, digital cameras and video camera recorders including goods in the form of unmanned aircraft falling under 8806 [other than two- way radio (Walkie talkie) used by defence, police and paramilitary
	forces, etc.]";

- (xiv) against S. No. 390, for the entry in column (3), the entry "Electrical Filament or discharge lamps including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps [other than Light-Emitting Diode (LED) Light Sources]", shall be substituted;
- (xv) against S. No. 392, for the entry in column (3), the entry "Semiconductor Devices (for example, Diodes, Transistors, Semiconductor Based Transducers); Photosensitive Semiconductor devices; Light-Emitting Diodes (LED), whether or not assembled with other Light-Emitting Diodes (LED); Mounted Piezo-Electric crystals", shall be substituted;
- (xvi) against S. No. 398, for the entry in column (2), the entry "8548 or 8549", shall be substituted;
- (xvii) against S. No. 411H, for the entry in column (3), the entry "Lasers, other than Laser Diodes; other Optical Appliances and Instruments, not specified or included elsewhere in this Chapter", shall be substituted;
- (xviii) against S. No. 413A, for the entry in column (3), the entry "Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta, gamma or other ionizing radiations [other than those for medical, surgical, dental or veterinary uses], including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, 28 examinations or treatment tables, chairs and the like", shall be substituted;
- (xix) against S. No. 438A, for the entry in column (3), the entry "Luminaires and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included [other than kerosene pressure lantern and parts thereof including gas mantles; hurricane lanterns, kerosene lamp, petromax, glass chimney, and parts thereof; LED lights or fixtures including LED lamps; LED (light emitting diode) driver and MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board)]", shall be substituted;
- (xx) against S. No. 441A, for the entry in column (3), the entry "Travelling Circuses and Travelling Menageries; Amusement Park Rides and Water Part Amusements; Fairground Amusements, including Shooting Galleries; Travelling Theatres", shall be substituted;
- (xxi) against S. No. 449B, for the entry in column (3), the entry "Vacuum flasks and other vacuum vessels, Complete; parts thereof other than glass inners", shall be substituted;
- d. in Schedule IV 14%, -
 - (i) after S. No. 15 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

"15A	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
15B	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion";

- (ii) against S. No. 176, for the entry in column (2), the entry "8802 or 8806" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. CBIC-190354/281/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, and last amended by Notification No. 14/2021-Central Tax(Rate) dated the 18th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 816(E), dated the 18th November, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सं. 18/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 893(अ).—एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) और केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची । - 5 % में, -

- (i) क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "दही; क्रीम, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लीकृत दूध और क्रीम, चाहे सांद्रित हो या नहीं या जिसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या कोई स्वाद या फल, नट्स या कोको मिलाया गया हो या नहीं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (iii) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कीड़े और अन्य प्राणीजन्य अन्य खाद्य उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल न हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 87 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य अवाष्पशील वनस्पतियां या माइक्रोबियल वसा और तेल (जोजोबा तेल सहित) और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों अथवा नहीं, किंतु रासायनिक रूप से संशोधित न किए गए हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 107 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "तेल-केक और अन्य ठोस अवशेष, चाहे वह ग्राउन्डेड हो या नहीं या छरों के रूप में हों, जो वनस्पित या माइक्रोबियल वसा या तेल के निष्कर्षण से उत्पन्न होता है, शीर्षक 2304 या 2305 के अलावा तथा बिनौला तेल-केक के अलावा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 127 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "डोलोमाइट, चाहे कैलिसेंड या सिन्टर्ड हो या नहीं, जिसमें डोलोमाइट को मोटे तौर पर ट्रिम किया गया हो या केवल काटकर, आरी से या अन्यथा, एक आयताकार के ब्लॉक या स्लैब के (वर्ग सिहत) आकार के हों, 2518 10 डोलोमाइट, कैलिसेंड या सिन्टर्ड न हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 186क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"186क	3816	डोलोमाइट कुटाई मिश्रण
186ख	3826	हाई स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए बायो-डीजल";

- (viii) क्रम संख्या 232 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8419 12" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 244 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"244	8802 या	अन्य विमान (उदाहरण के लिए, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज) अनुसूची III में क्रमांक
	8806	संख्या 383 में शामिल मदों को छोड़कर, व्यक्तिगत उपयोग के अलावा ";

- (x) क्रम संख्या 245 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807" और कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "शीर्षक 8802 या 8806 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद (अनुसूची III में क्रमांक संख्या 383 में शामिल मदों के पुर्जों को छोड़कर), के पुर्जे" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 258 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9405" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; ख. अनुसूची II - 12% में,-
 - (i) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, सूखे, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं, जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फ़िलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), पाइन नट्स [सूखी अरीका नट्स से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) क्रम संख्या 25 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पशु या माइक्रोबियल वसा और पशु या माइक्रोबियल तेल और उनके अंश, आंशिक रूप से या पूरी तरह से हाइड्रोजनीकृत, अंतर-एस्ट्रिफ़ाइड, री-एस्ट्रिफ़ाइड या इलडिनाइज़्ड, चाहे परिष्कृत है या नहीं, किन्तु आगे निर्मित नहीं हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
 - (iii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " पशु वसा या माइक्रोबियल वसा या पशु तेल या माइक्रोबियल तेल, या इस अध्याय से विभिन्न पशु वसा या माइक्रोबियल वसा या पशु तेल या माइक्रोबियल तेल के अंश से बना खाद्य मिश्रण या निर्मितियाँ, शीर्षक 1516 के खाद्य वसा या तेल या उनके अंशों के अलावा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
 - (iv) क्रम संख्या 27 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पशु या माइक्रोबियल वसा और पशु या माइक्रोबियल तेल और उनके अंश, उबला हुआ, ऑक्सीकृत, निर्जिलत, सल्फरयुक्त, उड़ा, निर्वात या निष्क्रिय में गर्मी द्वारा बहुलकीकृत गैस या अन्यथा रासायनिक रूप से संशोधित, शीर्षक 1516 को छोड़कर; अखाद्य मिश्रण या पशु, वनस्पित या माइक्रोबियल वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसा या तेलों के अंश, किंतु अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
 - (v) क्रम संख्या 28 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मांस, मांसाविशष्ट, रक्त या कीड़े के सासेज और वैसे ही उत्पाद; इन उत्पादों पर आधारित खाद्य निर्मितियाँ" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (vi) क्रम संख्या 29 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य निर्मित या परिरक्षित मांस, मांसाविश्ष्ट, रक्त या कीड़े" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (vii) क्रम संख्या 41 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "फलों या नट्स के रस (अंगूर सहित) और सब्जियों के रस, बिना किण्वित और अतिरिक्त स्प्रिट युक्त नहीं, चाहे अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (viii) क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जाएगा. यथा: -

"41क	2009 89	टेंडर नारियल जल जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,-
	90	(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
		(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में करवाई
		योग्य दवा किया जा सकता हो या उसपर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध
		हो [अनुबंध में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहाँ के ऐसे
		ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से
		परित्याग कर दिया गया हो] ";

(ix) क्रम संख्या 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (x) क्रम संख्या 144 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कालीन और अन्य कपड़ों के फर्श कवरिंग (टर्फ सहित), गुच्छेदार, चाहे बने बनाए हों अथवा नहीं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 185क के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7419 80 30" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 225 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9405" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 236 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पेंटिंग, ड्रॉइंग और पेस्टल, पूरी तरह से हाथ से निष्पादित, शीर्षक 4906 के ड्राइंग से भिन्न और हाथ से पेंट या हाथ से सजाए गए निर्मित वस्तुओं से भिन्न; कोलाजें, मोज़ाइकें और इसी तरह के सजावटी प्लाक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ग. अनुसूची III - 18% में, -

(i) क्रम संख्या 26क से 26ठ तक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियां को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"26क	2404 12 00	ऐसे उत्पाद जिनमें निकोटिन हो और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्त: श्वसन के लिए किया जाता हो
26 ख	2404 91 00, 2404 92 00, 2404 99 00	मौखिक उपयोग या ट्रांसर्डमल उपयोग या मौखिक या ट्रांसर्डमल के अलावा आवेदन के लिए, निकोटिन वाले उत्पाद और जिनका उपयोग तम्बाकू को खत्म करने के लिए किया जाता है
26 ग	2515 12 20, 2515 12 90	मार्बल और ट्रॉवरटाईन, ब्लॉक से भिन्न
26 घ	2516 12 00	ग्रेनाइट, ब्लॉक से भिन्न
26 ङ	2601	लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स, भुना हुआ लौह पाइराइट सहित
26 च	2602	मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स, फेरुजिनस मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स जिसमें 20% या उससे अधिक की मैंगनीज सामग्री हो, जिसकी सूखे वजन पर गणना की गई हो
26 छ	2603	कॉपर अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ज	2604	निकल अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 झ	2605	कोबाल्ट अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 স	2606	एल्युमिनियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ਟ	2607	सीसा अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ਠ	2608	जिंक अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ड	2609	टिन अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ढ	2610	क्रोमियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स";

(ii) क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (iii) क्रम संख्या 72 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सुरक्षा फ़्यूज़; विस्फोट तार; आघात या विस्फोट कैप्स; इगनाइटर्स; इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 98 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"98क	3827	मीथेन, ईथेन या प्रोपेन के हलोजनयुक्त डेरिवेटिव युक्त मिश्रण, जो अन्यत्र निर्दिष्ट
		या शामिल न हों";

- (v) क्रम संख्या 190क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कांच के आवरण (बल्ब और ट्यूब सहित), खुले और कांच के हिस्से, बिना फिटिंग के, बिजली के लैंप और प्रकाश स्रोतों के लिए, कैथोड रे ट्यूब या ऐसे अन्य उत्पादों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 195 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ग्लास फाइबर (कांच के ऊन सहित) और उससे बनी साम्रगियां (उदाहरण के लिए, यार्न, रोविंग, बुने हुए कपड़े)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 317ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "वायु या वैक्यूम पंप, वायु या अन्य गैस कम्प्रेसर और पंखे; हवादार या पुनर्चक्रण हुड, जिनमें पंखे लगे हो, चाहे उनमें फिल्टर लगे हों या नहीं; तंग-गैस जैविक सुरक्षा अलमारियाँ, चाहे फिल्टर के साथ फिट हों या नहीं [साइकिल पंपों, अन्य हैंड पंपों और हवा के हिस्सों या वैक्यूम पंपों और साइकिल पंपों के कंप्रेसर से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 320 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8419 [8419 12 से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (ix) क्रम संख्या 330 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मशीनरी, जो निर्दिष्ट नहीं है या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं है, खाद्य या पेय की औद्योगिक तैयारी या निर्माण के लिए, पशु या स्थिर वनस्पित या माइक्रूबियल वसा या तेल के निष्कर्षण या तैयारी के लिए मशीनरी से भिन्न" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 352 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मशीन-टूल्स (प्रेस सहित) फोर्जिंग, हैमरिंग या डाई फोर्जिंग द्वारा वर्किंग मेटल के लिए (रोलिंग मिल्स को छोड़कर); मशीन-टूल्स (प्रेस, स्लिटिंग लाइन्स और कट-टू-लेंथ लाइन्स सहित) बेंडिंग, फोलिंडंग, स्ट्रेटनिंग, फ़्लैटनिंग, शीयरिंग, पंचिंग, नॉचिंग या निबलिंग द्वारा वर्किंग मेटल के लिए (ड्रा-बेंच को छोड़कर); वर्किंग मेटल या मेटल कार्बाइड्स के लिए प्रेस, जो कि ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 369ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"369ग	8485	एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनें";
-------	------	--

(xii) क्रम संख्या 382 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"382क	8524	फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल, जिसमें टच-सेंसिटिव स्क्रीन शामिल हो या नहीं";
-------	------	--

(xiii) क्रम संख्या 383 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"383	8525	या	क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी), रेडियो-प्रसारण या टेलीविजन के लिए प्रसारण
	8806		उपकरण, चाहे रिसेप्शन उपकरण या ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल
			हो या नहीं; टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर जिसमें
			मानव रहित विमान के रूप में माल शामिल है जो 8806 के अंतर्गत आता है [रक्षा,
			पुलिस और अर्धसैनिक बलों, आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो-तरफा रेडियो
			(वॉकी टॉकी) के अलावा]";

- (xiv) क्रम संख्या 390 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "इलेक्ट्रिकल फिलामेंट या डिस्चार्ज लैंप जिसमें सीलबंद बीम लैंप यूनिट और अल्ट्रा-वायलेट या इंफ्रा-रेड लैंप शामिल हैं; आर्क लैंप [प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xv) क्रम संख्या 392 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सेमीकंडक्टर डिवाइसेस (उदाहरण के लिए, डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर आधारित ट्रांसड्यूसर); फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस; प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी), अन्य प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) के साथ संयोजन किया गया है या नहीं; माउंटेड पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 398 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8548 या 8549" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvii) क्रम संख्या 411ज के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "लेजर, लेजर डायोड से भिन्न; अन्य ऑप्टिकल उपकरण और यंत्र, जो निर्दिष्ट नहीं हैं या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xviii) क्रम संख्या 413क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "एक्स-रे या अल्फा, बीटा, गामा या अन्य आयनकारी विकिरणों के उपयोग पर आधारित उपकरण [चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के अलावा], जिसमें रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्सरे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, 28 परीक्षाएं या उपचार टेबल, कुर्सियाँ और इसी तरह के सामान शामिल हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xix) क्रम संख्या 438क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ल्यूमिनेयर और लाइटिंग फिटिंग्स, जिसमें सर्चलाइट और स्पॉटलाइट और उसके हिस्से शामिल हैं, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रबुद्ध संकेत, प्रबुद्ध नेमप्लेट और इसी तरह, जिसमें स्थायी रूप से तय किए गए प्रकाश स्रोत हैं, और उसके हिस्से जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं [केरोसिन प्रेशर लालटेन और उसके हिस्सों से भिन्न गैस मेंटल; हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप, पेट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी, और उसके हिस्से; एलईडी लैंप सहित एलईडी लाइट या जुड़नार; एलईडी (प्रकाश) एमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीबी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड)]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xx) क्रम संख्या 441क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ट्रैवलिंग सर्कस और ट्रैवलिंग मेनेजरीज; एम्यूजमेंट पार्क राइड्स एंड वाटर पार्ट एम्यूजमेंट; फेयरग्राउंड एम्यूजमेंट, जिसमें शूटिंग गैलरी शामिल हैं; ट्रैवलिंग थिएटर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxi) क्रम संख्या 449ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "वैक्यूम फ्लास्क और अन्य वैक्यूम वेसल, पूर्ण; कांच के अंदरूनी हिस्सों से भिन्न उसके हिस्से" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

घ. अनुसूची IV - 28% में, -

(i) क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"15क	2404 11 00	ऐसे उत्पाद जिनमें तम्बाकू या पुर्नगठित तम्बाकू हो और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्त: श्वसन के लिए किया जाता हो
15ख	2404 19 00	ऐसे उत्पाद जिनमें तम्बाकू या निकोटिन सब्सीट्यूट्स हों और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्त: श्वसन के लिए किया जाता हो";

- (ii) क्रम संख्या 176 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8802 या 8806" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/281/2021-टीआरयू खंड-सीबीईसी]

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2021- एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 नवंबर, 2021 सा.का.िन. 817(अ), दिनांक 18 नवंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

No. 18/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 893(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- e. in Schedule I 5%,
 - (i) against S. No. 2, for the entry in column (2), the entry "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" shall be substituted:
 - (ii) against S. No. 9, for the entry in column (3), the entry "Yoghurt; Cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavored or containing added fruit, nuts or cocoa" shall be substituted;
 - (iii) against S. No. 14, for the entry in column (3), the entry "Insects and other edible products of animal origin, not elsewhere specified or included" shall be substituted;
 - (iv) against S. No. 87, for the entry in column (3), the entry "Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified." shall be substituted;
 - (v) against S. No. 107, for the entry in column (3), the entry "Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable or microbial fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 other than cottonseed oil cake" shall be substituted;
 - (vi) against S. No. 127, for the entry in column (3), the entry "Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; 2518 10 dolomite, Not calcined or sintered", shall be substituted;
 - (vii) for S. No. 186A and the corresponding entries relating thereto, the following S. Nos. and the corresponding entries shall be substituted, namely: -

"186A	3816	Dolomite ramming mix	
186B	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel";	

- (viii) against S. No. 232, for the entry in column (2), the entry "8419 12" shall be substituted;
- (ix) For S. No. 244 and the corresponding entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -

"244		Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes) except the items covered in Sl. No. 383 in Schedule III, other than for personal use";
------	--	--

- (x) against S. No. 245, for the entry in column (2), the entry "8807", and for the entry in column (3), the entry "Parts of goods of heading 8802 or 8806 (except parts of items covered in Sl. No. 383 in Schedule III)", shall be substituted;
- (xi) against S. No. 258, for the entry in column (2), the entry "9405", shall be substituted;

f. in Schedule II -12%, -

- (i) against S. No. 15, for the entry in column (3), the entry "Other nuts, dried, whether or not shelled or peeled, such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Pine nuts [other than dried areca nuts]" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 25, for the entry in column (3), the entry "Animal or microbial fats and animal or microbial oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared." shall be substituted;
- (iii) against S. No. 26, for the entry in column (3), the entry "Edible mixtures or preparations of animal fats or microbial fats or animal oils or microbial oils or of fractions of different animal fats or microbial fats or animal oils or microbial oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516" shall be substituted;
- (iv) against S. No. 27, for the entry in column (3), the entry "Animal or microbial fats and animal or microbial oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified of included" shall be substituted;
- (v) against S. No. 28, for the entry in column (3), the entry "Sausages and similar products, of meat, meat offal, blood or insects; food preparations based on these products" shall be substituted;
- (vi) against S. No. 29, for the entry in column (3), the entry "Other prepared or preserved meat, meat offal, blood or insects" shall be substituted;
- (vii) against S. No. 41, for the entry in column (3), the entry "Fruit or nut juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter." shall be substituted;
- (viii) after S. No. 41 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"41A	2009 89 90	Tender coconut water put up in unit container and, -
		(a) bearing a registered brand name; or
		(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]";

- (ix) S. No. 49 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (x) against S. No. 144, for the entry in column (3), the entry "Carpets and other textile floor coverings (including Turf), tufted, whether or not made up" shall be substituted;
- (xi) against S. No. 185A, for the entry in column (2), the entry "7419 80 30" shall be substituted;
- (xii) against S. No. 225, for the entry in column (2), the entry "9405" shall be substituted;
- (xiii) against S. No. 236, for the entry in column (3), the entry "Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 4906 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages, mosaics and similar decorative plaques" shall be substituted;

g. in Schedule III – 18%, -

(i) for S. Nos. 26A to 26L and the corresponding entries relating thereto, the following S. Nos. and the corresponding entries shall be substituted, namely: -

"26A	2404 12 00	Products containing nicotine and intended for inhalation without combustion
26B	2404 91 00, 2404 92 00, 2404 99 00	Products for oral application or transdermal application or for application otherwise than orally or transdermally, containing nicotine and intended to assist tobacco use cessation
26C	2515 12 20, 2515 12 90	Marble and travertine, other than blocks
26D	2516 12 00	Granite, other than blocks
26E	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites
26F	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.
26G	2603	Copper ores and concentrates
26H	2604	Nickel ores and concentrates
26I	2605	Cobalt ores and concentrates
26J	2606	Aluminium ores and concentrates
26K	2607	Lead ores and concentrates
26L	2608	Zinc ores and concentrates
26M	2609	Tin ores and concentrates
26N	2610	Chromium ores and concentrates";

- (ii) S. No. 41 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) against S. No. 72, for the entry in column (3), the entry "Safety Fuses; Detonating Cords; Percussion or Detonating Caps; Igniters; Electric Detonators", shall be substituted;
- (iv) after S. No. 98 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"98A	3827	Mixtures containing halogenated derivatives of
		Methane, Ethane or Propane, not elsewhere specified or included";

- (v) against S. No. 190A, for the entry in column (3), the entry "Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps and light sources, cathode ray tube or the like", shall be substituted;
- (vi) against S. No. 195, for the entry in column (3), the entry "Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, rovings, woven fabrics)", shall be substituted;
- (vii) against S. No. 317B, for the entry in column (3), the entry "Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters; Gas-tight biological safety cabinets, whether or not fitted with filters [other than bicycle pumps, other hand pumps and parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps]", shall be substituted;
- (viii) against S. No. 320, for the entry in column (2), the entry "8419 [other than 8419 12]", shall be substituted;

- (ix) against S. No. 330, for the entry in column (3), the entry "Machinery, not specified or included elsewhere in this Chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable or microbial fats or oils", shall be substituted;
- (x) against S. No. 352, for the entry in column (3), the entry "Machine-Tools (Including Presses) For Working Metal by Forging, Hammering or Die Forging (Excluding Rolling Mills); Machine-Tools (Including Presses, Slitting Lines and Cut-To-Length Lines) For Working Metal by Bending, Folding, Straightening, Flattening, Shearing, Punching, Notching or Nibbling (Excluding Draw-Benches); Presses for Working Metal or Metal Carbides, Not Specified Above", shall be substituted;
- (xi) after S. No. 369B and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"369C	8485	Machines for Additive Manufacturing";
-------	------	---------------------------------------

(xii) after S. No. 382 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"382A	Flat Panel Display Modules, Whether or Not Incorporating Touch-
	Sensitive Screens";

(xiii) For S. No. 383 and the corresponding entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -

"383	8525 or 8806	Closed-circuit television (CCTV), transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders including goods in the form of unmanned aircraft falling under 8806 [other than two-way radio (Walkie talkie) used by defence, police and paramilitary forces, etc.]";
------	-----------------	--

- (xiv) against S. No. 390, for the entry in column (3), the entry "Electrical Filament or discharge lamps including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps [other than Light-Emitting Diode (LED) Light Sources]", shall be substituted;
- (xv) against S. No. 392, for the entry in column (3), the entry "Semiconductor Devices (for example, Diodes, Transistors, Semiconductor Based Transducers); Photosensitive Semiconductor devices; Light-Emitting Diodes (LED), whether or not assembled with other Light-Emitting Diodes (LED); Mounted Piezo-Electric crystals", shall be substituted;
- (xvi) against S. No. 398, for the entry in column (2), the entry "8548 or 8549", shall be substituted;
- (xvii) against S. No. 411H, for the entry in column (3), the entry "Lasers, other than Laser Diodes; other Optical Appliances and Instruments, not specified or included elsewhere in this Chapter", shall be substituted;
- (xviii) against S. No. 413A, for the entry in column (3), the entry "Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta, gamma or other ionizing radiations [other than those for medical, surgical, dental or veterinary uses], including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, 28 examinations or treatment tables, chairs and the like", shall be substituted;
- (xix) against S. No. 438A, for the entry in column (3), the entry "Luminaires and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included [other than kerosene pressure lantern and parts thereof including gas mantles; hurricane lanterns, kerosene lamp, petromax, glass chimney, and parts thereof; LED lights or fixtures including LED lamps; LED (light emitting diode) driver and MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board)]", shall be substituted;
- (xx) against S. No. 441A, for the entry in column (3), the entry "Travelling Circuses and Travelling Menageries; Amusement Park Rides and Water Part Amusements; Fairground Amusements, including Shooting Galleries; Travelling Theatres", shall be substituted;

- (xxi) against S. No. 449B, for the entry in column (3), the entry "Vacuum flasks and other vacuum vessels, Complete; parts thereof other than glass inners", shall be substituted;
- h. in Schedule IV 28%,
 - (i) after S. No. 15 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

"15A	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
15B	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion";

- (ii) against S. No. 176, for the entry in column (2), the entry "8802 or 8806" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. CBIC-190354/281/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 14/2021– Integrated Tax (Rate), dated the 18th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 817(E)., dated the 18th November, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सं. 18/2021-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.िन. 894(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1) और केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I - 2.5 % में, -

- (i) क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "दही; क्रीम, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लीकृत दूध और क्रीम, चाहे सांद्रित हो या नहीं या जिसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या कोई स्वाद या फल, नट्स या कोको मिलाया गया हो या नहीं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (iii) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कीड़े और अन्य प्राणीजन्य अन्य खाद्य उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल न हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (iv) क्रम संख्या 87 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य अवाष्पशील वनस्पितयां या माइक्रोबियल वसा और तेल (जोजोबा तेल सिहत) और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों अथवा नहीं, किंतु रासायिनक रूप से संशोधित न किए गए हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 107 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "तेल-केक और अन्य ठोस अवशेष, चाहे वह ग्राउन्डेड हो या नहीं या छरों के रूप में हों, जो वनस्पित या माइक्रोबियल वसा या तेल के निष्कर्षण से उत्पन्न होता है, शीर्षक 2304 या 2305 के अलावा तथा बिनौला तेल-केक के अलावा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

21

- (vi) क्रम संख्या 127 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "डोलोमाइट, चाहे कैलिसंड या सिन्टर्ड हो या नहीं, जिसमें डोलोमाइट को मोटे तौर पर ट्रिम किया गया हो या केवल काटकर, आरी से या अन्यथा, एक आयताकार के ब्लॉक या स्लैब के (वर्ग सिहत) आकार के हों, 2518 10 डोलोमाइट, कैलिसंड या सिन्टर्ड न हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 186क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"186क	3816	डोलोमाइट कुटाई मिश्रण
186ख	3826	हाई स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए बायो-डीजल";

- (viii) क्रम संख्या 232 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8419 12" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 244 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

		अन्य विमान (उदाहरण के लिए, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज) अनुसूची III में क्रमांक संख्या 383 में शामिल मदों को छोड़कर, व्यक्तिगत उपयोग के अलावा ";
--	--	---

- (x) क्रम संख्या 245 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807" और कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "शीर्षक 8802 या 8806 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद (अनुसूची III में क्रमांक संख्या 383 में शामिल मदों के पूर्जों को छोड़कर), के पूर्जे" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 258 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9405" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; ख. अनुसूची II - 6% में,-
 - (i) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, सूखे, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं, जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फ़िलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), पाइन नट्स [सूखी अरीका नट्स से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) क्रम संख्या 25 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पशु या माइक्रोबियल वसा और पशु या माइक्रोबियल तेल और उनके अंश, आंशिक रूप से या पूरी तरह से हाइड्रोजनीकृत, अंतर-एस्ट्रिफ़ाइड, री-एस्ट्रिफ़ाइड या इलडिनाइज़्ड, चाहे परिष्कृत है या नहीं, किन्तु आगे निर्मित नहीं हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
 - (iii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " पशु वसा या माइक्रोबियल वसा या पशु तेल या माइक्रोबियल तेल, या इस अध्याय से विभिन्न पशु वसा या माइक्रोबियल वसा या पशु तेल या माइक्रोबियल तेल के अंश से बना खाद्य मिश्रण या निर्मितियाँ, शीर्षक 1516 के खाद्य वसा या तेल या उनके अंशों के अलावा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (iv) क्रम संख्या 27 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पशु या माइक्रोबियल वसा और पशु या माइक्रोबियल तेल और उनके अंश, उबला हुआ, ऑक्सीकृत, निर्जिलत, सल्फरयुक्त, उड़ा, निर्वात या निष्क्रिय में गर्मी द्वारा बहुलकीकृत गैस या अन्यथा रासायनिक रूप से संशोधित, शीर्षक 1516 को छोड़कर; अखाद्य मिश्रण या पशु, वनस्पित या माइक्रोबियल वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसा या तेलों के अंश, किंतु अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 28 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मांस, मांसाविशष्ट, रक्त या कीड़े के सासेज और वैसे ही उत्पाद; इन उत्पादों पर आधारित खाद्य निर्मितियाँ" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 29 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य निर्मित या परिरक्षित मांस, मांसाविशष्ट, रक्त या कीड़े" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 41 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "फलों या नट्स के रस (अंगूर सहित) और सब्जियों के रस, बिना किण्वित और अतिरिक्त स्प्रिट युक्त नहीं, चाहे अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"41क	2009 89	टेंडर नारियल जल जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,-
	90	(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
		(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में करवाई
		योग्य दवा किया जा सकता हो या उसपर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहाँ के ऐसे
		ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से
		परित्याग कर दिया गया हो] ";

- (ix) क्रम संख्या 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 144 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कालीन और अन्य कपड़ों के फर्श कवरिंग (टर्फ सहित), गुच्छेदार, चाहे बने बनाए हों अथवा नहीं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 185क के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7419 80 30" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 225 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9405" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 236 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पेंटिंग, ड्रॉइंग और पेस्टल, पूरी तरह से हाथ से निष्पादित, शीर्षक 4906 के ड्राइंग से भिन्न और हाथ से पेंट या हाथ से सजाए गए निर्मित वस्तुओं से भिन्न; कोलाजें, मोज़ाइकें और इसी तरह के सजावटी प्लाक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ग. अनुसूची III - 9% में, -

(i) क्रम संख्या 26क से 26ठ तक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियां को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"26क	2404 12 00	ऐसे उत्पाद जिनमें निकोटिन हो और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्त: श्वसन के लिए किया जाता हो
26 ख	2404 91 00, 2404 92 00, 2404 99 00	मौखिक उपयोग या ट्रांसर्डमल उपयोग या मौखिक या ट्रांसर्डमल के अलावा आवेदन के लिए, निकोटिन वाले उत्पाद और जिनका उपयोग तम्बाकू को खत्म करने के लिए किया जाता है
26 ग	2515 12 20, 2515 12 90	मार्बल और ट्रॉवरटाईन, ब्लॉक से भिन्न
26 घ	2516 12 00	ग्रेनाइट, ब्लॉक से भिन्न

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 23

26 ङ	2601	लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स, भुना हुआ लौह पाइराइट सहित
26 च	2602	मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स, फेरुजिनस मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स जिसमें 20% या उससे अधिक की मैंगनीज सामग्री हो, जिसकी सूखे वजन पर गणना की गई हो
26 छ	2603	कॉपर अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ज	2604	निकल अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 झ	2605	कोबाल्ट अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ञ	2606	एल्युमिनियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ਟ	2607	सीसा अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ਠ	2608	जिंक अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ड	2609	टिन अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ढ	2610	क्रोमियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स";

- (ii) क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 72 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सुरक्षा फ़्यूज़; विस्फोट तार; आघात या विस्फोट कैप्स; इगनाइटर्स; इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 98 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"98क	3827	मीथेन, ईथेन या प्रोपेन के हलोजनयुक्त डेरिवेटिव युक्त मिश्रण, जो अन्यत्र निर्दिष्ट
		या शामिल न हों";

- (v) क्रम संख्या 190क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कांच के आवरण (बल्ब और ट्यूब सहित), खुले और कांच के हिस्से, बिना फिटिंग के, बिजली के लैंप और प्रकाश स्रोतों के लिए, कैथोड रे ट्यूब या ऐसे अन्य उत्पादों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 195 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ग्लास फाइबर (कांच के ऊन सहित) और उससे बनी साम्रगियां (उदाहरण के लिए, यार्न, रोविंग, बुने हुए कपड़े)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 317ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "वायु या वैक्यूम पंप, वायु या अन्य गैस कम्प्रेसर और पंखे; हवादार या पुनर्चक्रण हुड, जिनमें पंखे लगे हो, चाहे उनमें फिल्टर लगे हों या नहीं; तंग-गैस जैविक सुरक्षा अलमारियाँ, चाहे फिल्टर के साथ फिट हों या नहीं [साइकिल पंपों, अन्य हैंड पंपों और हवा के हिस्सों या वैक्यूम पंपों और साइकिल पंपों के कंप्रेसर से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 320 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8419 [8419 12 से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 330 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मशीनरी, जो निर्दिष्ट नहीं है या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं है, खाद्य या पेय की औद्योगिक तैयारी या निर्माण के लिए, पशु या स्थिर वनस्पित या माइकूबियल वसा या तेल के निष्कर्षण या तैयारी के लिए मशीनरी से भिन्न" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (x) क्रम संख्या 352 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मशीन-टूल्स (प्रेस सहित) फोर्जिंग, हैमरिंग या डाई फोर्जिंग द्वारा वर्किंग मेटल के लिए (रोलिंग मिल्स को छोड़कर); मशीन-टूल्स (प्रेस, स्लिटिंग लाइन्स और कट-टू-लेंथ लाइन्स सहित) बेंडिंग, फोल्डिंग, स्ट्रेटनिंग, फ़्लैटनिंग, शीयरिंग, पंचिंग, नॉचिंग या निबलिंग द्वारा वर्किंग मेटल के लिए (ड्रा-बेंच को छोड़कर); वर्किंग मेटल या मेटल कार्बाइड्स के लिए प्रेस, जो कि ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 369ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"369ग	8485	एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनें";
-------	------	--

(xii) क्रम संख्या 382 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"382क	8524	फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल, जिसमें टच-सेंसिटिव स्क्रीन शामिल हो या नहीं";
-------	------	--

(xiii) क्रम संख्या 383 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"383	8525 8806	या	क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी), रेडियो-प्रसारण या टेलीविजन के लिए प्रसारण उपकरण, चाहे रिसेप्शन उपकरण या ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल
			हो या नहीं; टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर जिसमें मानव रहित विमान के रूप में माल शामिल है जो 8806 के अंतर्गत आता है [रक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों, आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो-तरफा रेडियो (वॉकी टॉकी) के अलावा]";

- (xiv) क्रम संख्या 390 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "इलेक्ट्रिकल फिलामेंट या डिस्चार्ज लैंप जिसमें सीलबंद बीम लैंप यूनिट और अल्ट्रा-वायलेट या इंफ्रा-रेड लैंप शामिल हैं; आर्क लैंप [प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xv) क्रम संख्या 392 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सेमीकंडक्टर डिवाइसेस (उदाहरण के लिए, डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर आधारित ट्रांसड्यूसर); फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस; प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी), अन्य प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) के साथ संयोजन किया गया है या नहीं; माउंटेड पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 398 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8548 या 8549" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvii) क्रम संख्या 411ज के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "लेजर, लेजर डायोड से भिन्न; अन्य ऑप्टिकल उपकरण और यंत्र, जो निर्दिष्ट नहीं हैं या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xviii) क्रम संख्या 413क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "एक्स-रे या अल्फा, बीटा, गामा या अन्य आयनकारी विकिरणों के उपयोग पर आधारित उपकरण [चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के अलावा], जिसमें रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्सरे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, 28 परीक्षाएं या उपचार टेबल, कुर्सियाँ और इसी तरह के सामान शामिल हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xix) क्रम संख्या 438क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ल्यूमिनेयर और लाइटिंग फिटिंग्स, जिसमें सर्चलाइट और स्पॉटलाइट और उसके हिस्से शामिल हैं, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रबुद्ध संकेत, प्रबुद्ध नेमप्लेट और इसी तरह, जिसमें स्थायी रूप से तय किए गए प्रकाश स्रोत हैं, और उसके हिस्से जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं [केरोसिन प्रेशर लालटेन और उसके हिस्सों से भिन्न गैस मेंटल; हरिकेन लालटेन,

केरोसिन लैंप, पेट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी, और उसके हिस्से; एलईडी लैंप सहित एलईडी लाइट या जुड़नार; एलईडी (प्रकाश) एमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीबी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड)]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (xx) क्रम संख्या 441क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ट्रैवलिंग सर्कस और ट्रैवलिंग मेनेजरीज; एम्यूजमेंट पार्क राइड्स एंड वाटर पार्ट एम्यूजमेंट; फेयरग्राउंड एम्यूजमेंट, जिसमें शूटिंग गैलरी शामिल हैं; ट्रैवलिंग थिएटर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (xxi) क्रम संख्या 449ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "वैक्यूम फ्लास्क और अन्य वैक्यूम वेसल, पूर्ण; कांच के अंदरूनी हिस्सों से भिन्न उसके हिस्से" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

घ. अनुसूची IV - 14% में, -

(i) क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"15क	2404 00	11	ऐसे उत्पाद जिनमें तम्बाकू या पुर्नगठित तम्बाकू हो और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्त: श्वसन के लिए किया जाता हो
15ख	2404 00	19	ऐसे उत्पाद जिनमें तम्बाकू या निकोटिन सब्सीट्यूट्स हों और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्त: श्वसन के लिए किया जाता हो";

- (ii) क्रम संख्या 176 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8802 या 8806" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- 2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/281/2021-टीआरयु खंड-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2021-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 18 नवंबर, 2021 सा.का.िन. 818(अ), दिनांक 18 नवंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

No. 18/2021-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 894(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- a. in Schedule I 2.5%, -
 - (i) against S. No. 2, for the entry in column (2), the entry "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" shall be substituted;

- (ii) against S. No. 9, for the entry in column (3), the entry "Yoghurt; Cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavored or containing added fruit, nuts or cocoa" shall be substituted;
- (iii) against S. No. 14, for the entry in column (3), the entry "Insects and other edible products of animal origin, not elsewhere specified or included" shall be substituted;
- (iv) against S. No. 87, for the entry in column (3), the entry "Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified." shall be substituted;
- (v) against S. No. 107, for the entry in column (3), the entry "Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable or microbial fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 other than cottonseed oil cake" shall be substituted;
- (vi) against S. No. 127, for the entry in column (3), the entry "Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; 2518 10 dolomite, Not calcined or sintered", shall be substituted;
- (vii) for S. No. 186A and the corresponding entries relating thereto, the following S. Nos. and the corresponding entries shall be substituted, namely: -

"186A 3816		Dolomite ramming mix	
186B	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel";	

- (viii) against S. No. 232, for the entry in column (2), the entry "8419 12" shall be substituted;
- (ix) For S. No. 244 and the corresponding entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -

"244 8802 or Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes covered in Sl. No. 383 in Schedule III, other than fo

- (x) against S. No. 245, for the entry in column (2), the entry "8807", and for the entry in column (3), the entry "Parts of goods of heading 8802 or 8806 (except parts of items covered in Sl. No. 383 in Schedule III)", shall be substituted;
- (xi) against S. No. 258, for the entry in column (2), the entry "9405", shall be substituted;

b. in Schedule II -6%, -

- (i) against S. No. 15, for the entry in column (3), the entry "Other nuts, dried, whether or not shelled or peeled, such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Pine nuts [other than dried areca nuts]" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 25, for the entry in column (3), the entry "Animal or microbial fats and animal or microbial oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared." shall be substituted;
- (iii) against S. No. 26, for the entry in column (3), the entry "Edible mixtures or preparations of animal fats or microbial fats or animal oils or microbial oils or of fractions of different animal fats or microbial fats or animal oils or microbial oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516" shall be substituted;
- (iv) against S. No. 27, for the entry in column (3), the entry "Animal or microbial fats and animal or microbial oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified of included" shall be substituted;
- (v) against S. No. 28, for the entry in column (3), the entry "Sausages and similar products, of meat, meat offal, blood or insects; food preparations based on these products" shall be substituted;

- (vi) against S. No. 29, for the entry in column (3), the entry "Other prepared or preserved meat, meat offal, blood or insects" shall be substituted;
- (vii) against S. No. 41, for the entry in column (3), the entry "Fruit or nut juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter." shall be substituted;
- (viii) after S. No. 41 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"41	A	2009 89 90	Tender coconut water put up in unit container and, -
			(a) bearing a registered brand name; or
			(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]";

- (ix) S. No. 49 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (x) against S. No. 144, for the entry in column (3), the entry "Carpets and other textile floor coverings (including Turf), tufted, whether or not made up" shall be substituted;
- (xi) against S. No. 185A, for the entry in column (2), the entry "7419 80 30" shall be substituted;
- (xii) against S. No. 225, for the entry in column (2), the entry "9405" shall be substituted;
- (xiii) against S. No. 236, for the entry in column (3), the entry "Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 4906 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages, mosaics and similar decorative plaques" shall be substituted;
- c. in Schedule III 9%, -
 - (i) for S. Nos. 26A to 26L and the corresponding entries relating thereto, the following S. Nos. and the corresponding entries shall be substituted, namely: -

"26A	2404 12 00	Products containing nicotine and intended for inhalation without combustion
26B	2404 91 00, 2404 92 00, 2404 99 00	Products for oral application or transdermal application or for application otherwise than orally or transdermally, containing nicotine and intended to assist tobacco use cessation
26C	2515 12 20, 2515 12 90	Marble and travertine, other than blocks
26D	2516 12 00	Granite, other than blocks
26E	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites
26F	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.
26G	2603	Copper ores and concentrates
26H	2604	Nickel ores and concentrates
26I	2605	Cobalt ores and concentrates
26J	2606	Aluminium ores and concentrates

26K	2607	Lead ores and concentrates
26L	2608	Zinc ores and concentrates
26M	2609	Tin ores and concentrates
26N	2610	Chromium ores and concentrates";

- (ii) S. No. 41 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) against S. No. 72, for the entry in column (3), the entry "Safety Fuses; Detonating Cords; Percussion or Detonating Caps; Igniters; Electric Detonators", shall be substituted;
- (iv) after S. No. 98 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"98A	3827	Mixtures containing halogenated derivatives of
		Methane, Ethane or Propane, not elsewhere specified or included";

- (v) against S. No. 190A, for the entry in column (3), the entry "Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps and light sources, cathode ray tube or the like", shall be substituted;
- (vi) against S. No. 195, for the entry in column (3), the entry "Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, rovings, woven fabrics)", shall be substituted;
- (vii) against S. No. 317B, for the entry in column (3), the entry "Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters; Gas-tight biological safety cabinets, whether or not fitted with filters [other than bicycle pumps, other hand pumps and parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps]", shall be substituted;
- (viii) against S. No. 320, for the entry in column (2), the entry "8419 [other than 8419 12]", shall be substituted;
- (ix) against S. No. 330, for the entry in column (3), the entry "Machinery, not specified or included elsewhere in this Chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable or microbial fats or oils", shall be substituted;
- (x) against S. No. 352, for the entry in column (3), the entry "Machine-Tools (Including Presses) For Working Metal by Forging, Hammering or Die Forging (Excluding Rolling Mills); Machine-Tools (Including Presses, Slitting Lines and Cut-To-Length Lines) For Working Metal by Bending, Folding, Straightening, Flattening, Shearing, Punching, Notching or Nibbling (Excluding Draw-Benches); Presses for Working Metal or Metal Carbides, Not Specified Above", shall be substituted;
- (xi) after S. No. 369B and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"36	9C	8485	Machines for Additive Manufacturing";	
-----	----	------	---------------------------------------	--

(xii) after S. No. 382 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"382A 8524 Flat Panel Display Modules, WI Sensitive Screens":	hether or Not Incorporating Touch-
---	------------------------------------

(xiii) For S. No. 383 and the corresponding entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -

"383	8525	or	Closed-circuit television (CCTV), transmission apparatus for radio-
			broadcasting or television, whether or not incorporating reception

apparatus or sound recording or reproducing apparatus; telev cameras, digital cameras and video camera recorders including g in the form of unmanned aircraft falling under 8806 [other than way radio (Walkie talkie) used by defence, police and paramit forces, etc.]";
--

- (xiv) against S. No. 390, for the entry in column (3), the entry "Electrical Filament or discharge lamps including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps [other than Light-Emitting Diode (LED) Light Sources]", shall be substituted;
- (xv) against S. No. 392, for the entry in column (3), the entry "Semiconductor Devices (for example, Diodes, Transistors, Semiconductor Based Transducers); Photosensitive Semiconductor devices; Light-Emitting Diodes (LED), whether or not assembled with other Light-Emitting Diodes (LED); Mounted Piezo-Electric crystals", shall be substituted;
- (xvi) against S. No. 398, for the entry in column (2), the entry "8548 or 8549", shall be substituted;
- (xvii) against S. No. 411H, for the entry in column (3), the entry "Lasers, other than Laser Diodes; other Optical Appliances and Instruments, not specified or included elsewhere in this Chapter", shall be substituted:
- (xviii) against S. No. 413A, for the entry in column (3), the entry "Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta, gamma or other ionizing radiations [other than those for medical, surgical, dental or veterinary uses], including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, 28 examinations or treatment tables, chairs and the like", shall be substituted;
- (xix) against S. No. 438A, for the entry in column (3), the entry "Luminaires and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included [other than kerosene pressure lantern and parts thereof including gas mantles; hurricane lanterns, kerosene lamp, petromax, glass chimney, and parts thereof; LED lights or fixtures including LED lamps; LED (light emitting diode) driver and MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board)]", shall be substituted;
- (xx) against S. No. 441A, for the entry in column (3), the entry "Travelling Circuses and Travelling Menageries; Amusement Park Rides and Water Part Amusements; Fairground Amusements, including Shooting Galleries; Travelling Theatres", shall be substituted;
- (xxi) against S. No. 449B, for the entry in column (3), the entry "Vacuum flasks and other vacuum vessels, Complete; parts thereof other than glass inners", shall be substituted;
- d. in Schedule IV -14%, -
 - (i) after S. No. 15 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

"15A	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
15B	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion";

- (ii) against S. No. 176, for the entry in column (2), the entry "8802 or 8806" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. CBIC-190354/281/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, and last amended *vide* Notification No. 14/2021-Union Territory Tax (Rate) dated the 18th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 818(E), dated the 18th November, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सं. 19/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 895(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 43ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सब्ज़ियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित राखी गयी हो, लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 49 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, ताज़ा, जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फ़िलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), अखरोट, चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), अरीका नट्स, पाइन नट्स, ताज़ा, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं", को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
 - (iv) क्रम संख्या 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत :स्थापित किया जाएगा, यथा- :

"97क		टेंडर नारियल जल, यूनिट कंटेनर में रखे गए से भिन्न और,-
	90	(ग) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम ना हो, या
		(घ) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम ना हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में
		करवाई योग्य दवा किया जा सकता हो या उसपर कोई प्रवर्तनी अधिकार
		उपलब्ध हो [अनुबंध l में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न
		जहाँ के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार
		का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

- (v) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 141 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/281/2021-टीआरयू खंड-सीबीईसी]

राजीव रंजन. अवर सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2021 सा.का.नि. 694(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

No. 19/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 895(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, -

- (i) against S. No. 22, for the entry in column (2), the entry "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 43B, in column (3), for the entry, the entry "Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption" shall be substituted;
- (iii) against S. No. 49, in column (3), for the entry, the entry "Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), walnuts, Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled" shall be substituted:
- (iv) after S. No. 97 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"97A	2009 89 90	Tender coconut water other than those put up in unit container and, -
		(a) bearing a registered brand name; or
		(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE I]";

- (v) S. No. 101 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) against S. No. 141, for the entry in column (2), the entry "8807" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. CBIC-190354/281/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide Notification No. 9/2021-Central Tax (Rate) dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 694(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 28 दिसम्बर. 2021

सं. 19/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 896(अ).—एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017का (13 की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्निलिखत संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 43ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सब्ज़ियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित राखी गयी हो, लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 49 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, ताज़ा, जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फ़िलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), अखरोट, चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), अरीका नट्स, पाइन नट्स, ताज़ा, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (iv) क्रम संख्या 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत :स्थापित किया जाएगा, यथा- :

"97क	2009 8	39	टेंडर नारियल जल, यूनिट कंटेनर में रखे गए से भिन्न और,-
	90		(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम ना हो, या
			(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम ना हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में
			करवाई योग्य दवा किया जा सकता हो या उसपर कोई प्रवर्तनी अधिकार
			उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न
			जहाँ के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार
			का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

- (v) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 141 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/281/2021-टीआरय खंड-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2021- एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2021 सा.का.नि. 699(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

No. 19/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 896(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, -

- (i) against S. No. 22, for the entry in column (2), the entry "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 43B, in column (3), for the entry, the entry "Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption" shall be substituted;
- (iii) against S. No. 49, in column (3), for the entry, the entry "Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), walnuts, Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled" shall be substituted;
- (iv) after S. No. 97 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"97A	2009 89 90	Tender coconut water other than those put up in unit container and, -
		(a) bearing a registered brand name; or
		(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE I]";

- (v) S. No. 101 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) against S. No. 141, for the entry in column (2), the entry "8807" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. CBIC-190354/281/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 2/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended vide notification No. 9/2021-Integrated Tax (Rate) dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 699(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सं. 19/2021-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.िन. 897(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्निलिखित संशोधन करती है. यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 43ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सब्ज़ियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गयी हो, लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- (iii) क्रम संख्या 49 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, ताज़ा, जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फ़िलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), अखरोट, चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), अरीका नट्स, पाइन नट्स, ताज़ा, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं", को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
 - (iv) क्रम संख्या 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत :स्थापित किया जाएगा, यथा- :

"97क	2009 89	टेंडर नारियल जल, यूनिट कंटेनर में रखे गए से भिन्न और,-
	90	(ग) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम ना हो, या
		(घ) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम ना हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में
		करवाई योग्य दवा किया जा सकता हो या उसपर कोई प्रवर्तनी अधिकार
		उपलब्ध हो [अनुबंध l में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न
		जहाँ के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार
		का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

- (v) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 141 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/281/2021-टीआरय खंड-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2021- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2021 सा.का.िन. 704(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

No. 19/2021-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 897(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, -

- (i) against S. No. 22, for the entry in column (2), the entry "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 43B, in column (3), for the entry, the entry "Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption" shall be substituted;
- (iii) against S. No. 49, in column (3), for the entry, the entry "Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), walnuts, Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled" shall be substituted;

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 35

(iv) after S. No. 97 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"97A	2009 89 90	Tender coconut water other than those put up in unit container and, -
		(a) bearing a registered brand name; or
		(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE I]";

- (v) S. No. 101 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) against S. No. 141, for the entry in column (2), the entry "8807" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. CBIC-190354/281/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secv.

Note: The principal notification No.2/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* Notification No. 9/2021- Union Territory Tax (Rate) dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 704(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सं. 20/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. 898(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे सा.का.िन. 695 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्निलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "4414" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 29 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7419 80" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/281/2021-टीआरयू खंड-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

No. 20/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 898(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2018-Central Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 695(E), dated the 26th July, 2018, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

- (i) against S. No. 4, for the entry in column (2), the entry "4414" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 29, for the entry in column (2), the entry "7419 80" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

 $[F.\ No.\ CBIC\text{-}190354/281/2021\text{-}TRU\ Section\text{-}CBEC]$

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सं. 20/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 899(अ).—एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे सा.का.िन. 699 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्निलिखित संशोधन करती है. यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "4414" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 29 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7419 80" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/281/2021-टीआरयू खंड-सीबीईसी]

राजीव रंजन. अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

No. 20/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 899(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 22/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 699(E), dated the 26th July, 2018, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

- (i) against S. No. 4, for the entry in column (2), the entry "4414" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 29, for the entry in column (2), the entry "7419 80" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. CBIC-190354/281/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सं. 20/2021-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.िन. 900(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे सा.का.िन. 703 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "4414" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 29 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7419 80" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/281/2021-टीआरयु खंड-सीबीईसी]

राजीव रंजन. अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

No. 20/2021-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 900(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2018- Union Territory Tax (Rate), dated the 26th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 703(E), dated the 26th July, 2018, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

- (i) against S. No. 4, for the entry in column (2), the entry "4414" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 29, for the entry in column (2), the entry "7419 80" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. CBIC-190354/281/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सं. 2/2021-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

सा.का.नि. 901(अ).—माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 25 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2403 91 00 या 2404 11 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 37 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2403 99 90 या 2404 11 00 या 2404 19 00"को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2403 99 90 या 2404 11 00 या 2404 19 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (iv) क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8802 या 8806" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/281/2021-टीआरय खंड-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2021- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 सा.का.िन. 710 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

No. 2/2021-Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 901(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule,

- (i) against S. No. 25, for the entry in column (2), the entry "2403 91 00 or 2404 11 00" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 37, for the entry in column (2), the entry "2403 99 90 or 2404 11 00 or 2404 19 00" shall be substituted;
- (iii) against S. No. 38, for the entry in column (2), the entry "2403 99 90 or 2404 11 00 or 2404 19 00" shall be substituted;
- (iv) against S. No. 54, for the entry in column (2), the entry "8802 or 8806" shall be substituted

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. CBIC-190354/281/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: -The principal notification No.1/2017-Compensation Cess (Rate) dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 1/2021-Compensation Cess (Rate), dated the 30th September, 2021, published *vide* number G.S.R.710(E), dated the 30th September, 2021.